

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

2025/ 6103

दिनांक - 17.07.25

प्रार्थिनी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जीयों देवी पत्नि करनाराम जाति जाट निवासी हेमाणियों का तला बाटाडु तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।


1 उगराराम 2 बाबुलाल पिसरान खेमाराम 3 देवाराम पुत्र दीपाराम 4 करनाराम पुत्र भेराराम 5 ठाकराराम 6 भेराराम पिसरान खेताराम 7 धर्माराम 8 बाबुराम 9 मानाराम 10 निम्बाराम पिसरान उदाराम 11 रूपो देवी पत्नि उदाराम 12 दलपतराम 13 चुतराराम 14 मोतीराम 15 नारणाराम पिसरान मुलाराम 16 कोयल बाई पत्नि मुलाराम जातियान जाट निवासी जैतपुर तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 176/2024

दिनांक- 09/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जैतपुर पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या क्रमशः 567/486, 568/486, 569/486 रकबा क्रमशः 0.0970, 0.8575, 5.8411 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थिनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड बाड़मेर अधिकारी

बाड़मेर

दिनांक- 17.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6104 - 6107

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भीमडा तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थिनी जीयों देवी पत्नि करनाराम जाति जाट निवासी हेमाणियों का तला बाटाडु तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण उगराराम पुत्र खेमाराम वगैराह जातियान जाट निवासी जैतपुर तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड बाड़मेर अधिकारी
बाड़मेर